प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील सं. 267/2028

निर्णय सुरक्षित रखा गया : 06.11.2025

निर्णय पारित किया गया : 18.11.2025

• छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना प्रभारी, थाना तारेगांव जंगल, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़।

.....अपीलार्थी

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. नंदराम @ अनुक्का, पिता- जीवन नाई, आयु- लगभग 30 वर्ष

2. जुगुत राम, पिता- सतीलाल पेंड्रम, आयु- लगभग 23 वर्ष,

दोनों निवासी- ग्राम घोंटा, थाना पाण्डातराई, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़।

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री रतन पुस्ती, शासकीय अधिवक्ता।

प्रत्यर्थियों की ओर से : श्री चंद्र भूषण केशरवानी, अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल एवं

माननीय श्री राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधीशगण

सी.ए.व्ही. निर्णय

द्वारा- राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधीश

1. अपीलार्थी/राज्य द्वारा प्रस्तुत यह दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा), छ.ग. द्वारा सत्र प्रकरण सं. 16/2017 में पारित 23.09.2017 दिनांकित निर्णय से उद्भूत होती है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को संदेह के लाभ के आधार पर भारतीय दंड विधान (संक्षेप में, भा.द.वि.) की धारा 34 सहपठित धारा 272 और 201 के तहत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि 08.12.2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे हजारी गोंड नामक व्यक्ति गाँव धुंआछापर खार में स्थित अपने खेत में तिल की फसल की कटाई के लिए गया था, जहाँ उसने एक अज्ञात पुरुष का शव देखा, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, जो एक वीर सिंह के बगल के खेत में पड़ा था। मृत शरीर के मुंह से खून बहता हुआ पाया गया और गर्दन के चारों ओर दो गांठों से बंधा एक हरे रंग का दुपट्टा पाया गया। तत्पश्चात्, हजारी गोंड ने तुरंत ग्रामीणों को सूचित किया और तत्पश्चात् वे थाना तारेगांव वन, जिला कबीरधाम गए, जहाँ एक मर्ग सूचना (प्र.**P**-1) दर्ज की गई। जाँच कार्यवाही के दौरान, अ.सा.-2 विसराम पटेल और एक राजू पटेल द्वारा मृत शरीर की पहचान अनुजराम पटेल (इसके बाद "मृतक" के रूप में संदर्भित) के रूप में की गई। इसके बाद शव को शव परीक्षण हेतु भेज दिया गया, जिसका संचालन अ.सा.-11 डॉ. देवेंद्र बेलचंदन ने किया। शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.**P**-19) के अनुसार, मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था और मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी। अन्वेषण के दौरान, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, मृतक की पैंट की जेब से एक काला कपड़ा, मोबाइल नंबरों की पर्ची वाला एक पर्स और एक जोड़ी चप्पल जप्ती पत्रक प्र.**P**-5 के माध्यम से जब्त किए गए। जाँच के दौरान दर्ज किए गए कथनों के आधार पर, संदेह पैदा हुआ कि मृतक की पत्नी-कौशल्या बाई के आरोपी/प्रत्यर्थी सं. 1- नंदराम श्रीवास के साथ अवैध संबंध थे। यह पता चला कि 07.12.2016 को, अ.सा.-8 सालिकराम और अ.सा.-9 पुनितराम ने अभियुक्त व्यक्तियों को कथित रूप से मृतक-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुजराम को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए और बाद में उसकी हत्या करते हुए देखा था। जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों के विरूद्ध एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.**P**-22) दर्ज की गई। अभियुक्तों को प्र.**P**-25 और **P**-26 के अनुसार अभिरक्षा में लिया गया। प्र.**P**-10 के माध्यम से, आरोपी- जुगुत राम का ज्ञापन कथन लेखबद्ध किया गया, जिसके अनुसार, मृतक का एक पुराना मोबाइल फोन प्र.**P**-11 के माध्यम से जब्त किया गया था। एक हीरो होंडा सीडी-डॉन मोटरसाइकिल जिसकी पंजीकरण सं. **CG**-10-**DB**-8293 थी, को आरोपी- नंदराम के घर से प्र.**P**-12 के माध्यम से जब्त किया गया। प्र.**P**- 17 के माध्यम से, एक हरा तौलिया (स्कार्फ) भी जब्त किया गया। जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) भेजा गया और एफ. एस. एल. प्रतिवेदन (प्र.**P**-29) अनिर्णायक पाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. साक्षियों के कथन लेखिबद्ध किए गए और अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों के विरूद्ध संबंधित विचारण न्यायालय में अभियोग- पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों ने अपने अपराध से इंकार किया और विचारण के लिए प्रार्थना की।

4. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को उन पर लगाए गए उक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील यह निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त करने में अन्यायपूर्ण है क्योंकि उन्हें प्रश्नगत अपराधों से जोड़ने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अ.सा.-8 सालिक राम और अ.सा.-9 पुनित राम मरकाम के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को मृतक को अंतित बार अभियुक्तों के साथ देखा गया था। वह यह भी तर्क करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपराध के हेतुक को स्थापित किया

है और अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य की उपलब्धता के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः दोषमुक्ती का आक्षेपित निर्णय विकृति और अवैधता से ग्रस्त है और अपास्त किए जाने योग्य है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों/अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हैं और निवेदन करते हैं कि अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कोई ठोस या निर्णायक साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी प्रश्नगत अपराध के अपराधी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि यह सभी उचित संदेह से परे है। उन्होंने यह भी कहा कि अ.सा.-8 सालिक राम और अ.सा.-9 पुनित राम, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने अभियुक्तों के साथ मृतक को आखिरी बार देखा था और अ.सा.-3 रुक्मणी और अ.सा.-10 नाथूराम, जो ज्ञापन और जब्ती के साक्षी हैं, ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार, विद्वान विचारण विचारण ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, अभियुक्तों को सही रीति से दोषमुक्त किया है। अतः राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

8. जफरुद्दीन व अन्य बनाम केरल राज्य[1] के मामले में सर्वोच्च न्यालालय ने दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार किया है, जो निम्नानुसार हैः-

> "25. धारा 378 द.प्र.सं. का उपयोग करके दोषमुक्त किए जाने के विरूद्ध अपील पर विचार करते समय, अपीली न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को संभावित माना जा सकता है, विशेष रूप से जब अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण किया गया हो।

1 (2022) 8 SCC 440

इसका कारण यह है कि दोषमुक्ती का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा को जोड़ता है। इस प्रकार, अपीली न्यायालय को विचारण न्यायालय के दोषमुक्ती के आदेश को उलटने में अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करना पड़ता है। अतः अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमजोर नहीं होती है, परन्तु केवल मजबूत होती है। ऐसी दोहरी धारणा जो अभियुक्त के पक्ष में होती है को केवल स्वीकृत विधिक मापदंडों पर पूरी तरह से जांच कर ही बाधित किया जाना चाहिए।"

9. अब जो प्रश्न विचारार्थ उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थियों ने प्रश्नगत अपराध कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. स्वीकृत तौर पर, वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पाँच स्वर्णिम सिद्धांत, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी प्रकरण में साक्ष्य के पंचशील का गठन करते हैं, शरद बिरधिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य[2] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय के माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यह परिच्छेद 153 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी :

"153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि किसी अभियुक्त के विरूद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है :

(1) जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध करने का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'स्थापित होनी चाहिए' न कि 'हो सकती है'।

2 (1984) 4 SCC 116

'सिद्ध हो सकता है' और 'सिद्ध होना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य[3] के मामले में कहा था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं: [एस.सी.सी. कंडिका 19, पृ. 807 : एस. सी. सी. (क्रि.) पृ.1047]

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने से पहले अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल 'दोषी हो सकता है', और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के मध्य मानसिक दूरी लंबी है और यह अस्पष्ट अनुमानों से निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर समझाए जाने योग्य नहीं होने चाहिए,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध किए जाने वाले को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को खारिज कर देना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई भी उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

3 (1973) 2 SCC 793

11. सबसे पहले, हम अपराध के हेतुक के संबंध में प्रत्यर्थियों के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा साबित की गई परिस्थिति पर विचार करेंगे। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. **P**-22) की सामग्री के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थी सं. 1 नंदराम का मृतक की पत्नी-कौशल्या के साथ अवैध संबंध था और मृतक को खत्म करने के लिए, अभियुक्तों ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई। यद्यपि, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन इन आरोपों का समर्थन नहीं करता है। यह इंगित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 1 नंदराम का मृतक की पत्नी के साथ कोई अवैध संबंध था। अभियोजन पक्ष ने इस तरह के संबंध को स्थापित करने के लिए कोई साक्षी, दस्तावेज या भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विशेष रूप से, कथित अवैध संबंध को साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्षी होने के बावजूद, मृतक की पत्नी- कौशल्या का अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है। इस तरह के संबंध को स्थापित करने वाले साक्ष्य के अभाव में, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह कथित हत्या का हेतुक था। बिना साक्ष्य के, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में केवल आरोप, हेतुक को साबित करने के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष प्रत्यर्थियों के विरूद्ध अपराध के हेतुक को स्थापित करने में विफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा साबित पायी गई अगली परिस्थिति का संबंध है, यह कथित अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य से संबंधित है, जिसमें मृतक को कथित तौर पर अ.सा.-8 सालिक राम और अ.सा.-9 पुनित राम द्वारा प्रत्यर्थियों के साथ देखा गया था। अ.सा.-8 सालिक राम ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि घटना से पहले वह मृतक और अ.सा.-9 पुनित राम के साथ कुई बाजार गया था। शाम लगभग 4:00 बजे जब 7 बजे उसी मोटरसाइकिल से लौटते हुए गांव रोखनी के पास, अभियुक्तों ने कथित तौर पर उन्हें रोका और मृतक को अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा। इसके बाद, मृतक ने उसे और अ.सा.-9 पुनित राम को यह कहते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा कि वह अभियुक्तों के साथ जाएगा, और तदानुसार, वे वहाँ से चले गए। उन्होंने आगे कहा है कि

दो दिन बाद, उन्हें ग्रामीणों से ज्ञात हुआ कि मृतक-अनुजराम की मृत्यु हो गई है। उसने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसने अभियुक्तों के साथ बाजार की ओर जाते हुए ग्राम रोखनी के पास मृतक को अंतिम बार देखा था और उसके बाद उसने मृतक को जीवित नहीं देखा। प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि मृतक का शव मिलने से दो दिन पहले वह मृतक और अ.सा.-9 के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर बाजार गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि धारा 161 द.प्र.सं. के तहत अभिलिखित अपने पुलिस कथन (प्र.**D**-1) में उसने बताया था कि अभियुक्तों ने गाँव रोखनी के पास हाथ हिलाकर मोटरसाइकिल को रोका था, यद्यपि, उक्त तथ्य का उसके पुलिस कथन (प्र.**D**-1) में उल्लेख नहीं है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि शव मिलने के दो से तीन दिन बाद उसका कथन लेखबद्ध किया गया था, परन्तु द.प्र.सं. की धारा 161 के तहत उसका कथन 04.01.2017 को, अर्थात् घटना के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद लेखबद्ध किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपना कथन देने से पहले मृतक के पिता से मुलाकात की थी और बात की थी, परन्तु उसने उसे या किसी अन्य रिश्तेदार को यह नहीं बताया कि अभियुक्तों ने उन्हें रोखनी गांव के पास रोका था और मृतक को अपने साथ ले गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. समान रूप से, अ.सा.-9 पुनित राम मरकाम ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि वह मृतक और अ.सा.-8 सालिक राम के साथ शाम लगभग 4:30 बजे एक ही मोटरसाइकिल पर बाजार से लौट रहा था। ग्राम रोखनी के पास अभियुक्तों ने कथित तौर पर अपने हाथ हिलाकर मोटरसाइकिल को रुकवाया, जिस पर अ.सा.-8 सालिक राम ने वाहन रोक दिया। मृतक ने तब उनसे कहा कि "मेरा आदमी आ गया है और आप दोनों जा सकते हैं", और तदानुसार, वह और अ.सा.-8 सालिक राम वहाँ से चले गए, जबकि मृतक अभियुक्तों के साथ गया। उसने आगे कहा है कि दो दिन बाद, उसे मृतक के पिता से ज्ञात हुआ कि मृतक की मृत्यु हो गई है और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई। पूर्वक कथनजिरह में उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया

कि अभियुक्तों ने मृतक की मोटरसाइकिल रोकनी गांव में रोकी थी और मृतक ने उन्हें लौटने के लिए कहा था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी उपस्थिति में प्रत्यर्थी सं. 1 नंदराम ने पुलिस को यह नहीं बताया कि मृतक की पत्नी के साथ उनके अवैध संबंध थे या उन्होंने प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ मिलकर हत्या की थी।

14. पद्मन बिभार बनाम ओडिशा राज्य[4] के मामले में सर्वोच्च न्यालालय ने अपने स्वयं के निर्णय का अवलंब लेते हुए कहा कि अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य एक बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और केवल उसी आधार पर, अभियुक्तों की दोषसिद्धि अभियुक्तों के अपराध की ओर इशारा करने वाली अन्य परिस्थितियों के साथ पुष्टि किए बिना बहुत कठिन है और कण्डिका 20 और 21 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "20. इस न्यायालय ने (2014) 4 एस. सी. सी. 715 में प्रतिवेदित कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' का साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है और केवल 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य होने के बिना दोषसिद्धि अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 242 के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कण्डिका 12 और 15 में दिए गए निर्णय के निम्नलिखित अंश को लाभप्रद रूप से संदर्भित किया जा सकता हैः
>
> > "12. आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि वह अभियुक्त ही था जिसने अपराध कारित किया था। अभियुक्त और अपराध के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ और होना चाहिए। अपीलार्थी की ओर से केवल स्पष्टीकरण न दिए जाने से, हमारी सुविचारित मत में, अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध का

4 2025 LiveLaw (SC) 613

प्रमाण नहीं मिल सकता है।

15. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत- अपीलार्थी का मृतक के साथ पहले देखे गए तरीके से जाना, उसके विरूद्ध उपलब्ध एकमात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि को केवल संदेह पर, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, या उसके आचरण पर कायम नहीं रखा जा सकता है। यह तथ्य हेतुक के प्रमाण के अभाव के कारण और अधिक महत्व रखते हैं, विशेष रूप से जब यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त और मृतक मध्य लंबे समय तक सौहार्दपूर्ण संबंध थे। तथ्य स्थिति माधो सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2010) 15 एस. सी. सी. 588 में बहुत समानता रखती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय के आलोक में वर्तमान मामले की जांच की जाती है, तो अभिलेख पर साक्ष्य के साथ यह पता चलता है कि यद्यपि अ.सा.-8 सालिक राम और अ.सा.-9 नंदराम ने कहा कि मृतक को आखिरी बार अभियुक्तों के साथ गाँव रोखनी के पास देखा गया था, परन्तु इस तथ्य का खुलासा उन्होंने न तो पुलिस, मृतक के पिता या किसी रिश्तेदार के समक्ष घटना के तुरंत बाद किया है, जो इंगित करता है कि उनका आचरण स्वाभाविक नहीं था। कथित घटना 07-08.12.2016 को हुई, जबकि द.प्र.सं. की धारा 161 के तहत उनके पुलिस कथन लगभग एक महीने बाद 04.01.2017 को अभिलिखित किए गए। यदि उन्होंने वास्तव में मृतक को अभियुक्तों के साथ देखा होता, तो यह उम्मीद करना उचित होता कि वे गाँव में मौजूद होने के बावजूद तुरंत पुलिस या रिश्तेदारों को सूचित करते। ऐसा करने में उनकी विफलता उनके कथनों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। अतः उनके साक्ष्य से यह निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है कि मृतक को घटना दिनांक को अभियुक्तों के साथ देखा गया था।

16. इसके अलावा, ज्ञापन और जब्ती के साक्षियों, अर्थात् अ.सा.-3 रुखमणि पटेल और अ.सा.-10 नाथूराम ने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा, जप्ती पत्रक (प्र.**P**-11) के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 2 से एक पुराना मोबाइल फोन कथित रूप से जब्त किया गया था। यद्यपि, अन्वेषण अधिकारी सहित पुलिस कर्मी यह साबित नहीं कर सके कि जब्त किया गया मोबाइल मृतक-अनुजराम का था, और न ही वे यह साबित कर सके कि मोबाइल में कोई सिम कार्ड था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा है कि कथित रूप से जब्त किया गया दुपट्टा मृतक के गले में बंधा हुआ था और एक जोड़ी चप्पलें अभियुक्तों की थीं। इसके अलावा, एफ. एस. एल. प्रतिवेदन प्रत्यर्थियों को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने वाला कोई निर्णायक साक्ष्य प्रदान नहीं करती है। यदि अभियोजन पक्ष के प्रकरण को जैसा है वैसा ही लिया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल संदेह के आधार पर बनाया गया था, परन्तु संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस संबंध में, सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य[5] के मामले में सर्वोच्च न्यालालय ने कण्डिका 13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "13. संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता है और कुछ ऐसा जो "साबित किया जा सकता है" और कुछ ऐसा जो "साबित किया जाएगा" के मध्य एक बड़ा अंतर है। दाण्डिक विचारण में, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, साक्ष्य की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही दी जानी चाहिए। यही कारण है कि 'हो सकता है' और 'होना ही चाहिए' के मध्य की मानसिक दूरी काफी बड़ी है, और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है। दाण्डिक प्रकरण में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि केवल

5 (2013) 12 SCC 406

अनुमान या संदेह विधिक साक्ष्य का स्थान न ले। 'सत्य हो सकता है' और 'सत्य होना चाहिए' के मध्य की बड़ी दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए, इससे पहले कि एक अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाए, और मूल और स्वर्णिम नियम को लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, 'सच हो सकता है' और 'सच होना चाहिए' मध्य की दूरी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को केवल अनुमानों और निश्चित निष्कर्षों के मध्य महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखनी चाहिए, जो प्रकरण की सभी विशेषताओं की पूर्ण और व्यापक सराहना के साथ-साथ अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर निष्पक्ष न्यायिक जांच की कसौटी पर पहुंचे। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय की विफलता न हो, और यदि किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसी माँग करती हैं, तो आरोपी को 'संदेह का लाभ' दिया जाना चाहिए; साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 'उचित संदेह' कोई काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभावित संदेह नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा निष्पक्ष संदेह होता है जो तर्क और सामान्य बुद्धि पर आधारित होता है—जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'सुजीत बिस्वास' (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य[6] के मामले में, सर्वोच्च न्यालालय ने कंडिका 25 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"25. दाण्डिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल में एक और सुनहरा धागा यह है कि यदि प्रकरण में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो वह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के लिए

6 (1973) 2 SCC 808

अनुकूल हो। इस सिद्धांत की उन मामलों में विशेष प्रासंगिकता है जहां अभियुक्त के अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जाती है।"

19. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की है और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कोई ठोस और निर्णायक साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति प्रश्नगत अपराध के कारक हैं और आगे यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों और मृतक के मध्य किसी भी हेतुक या पूर्व शत्रुता को साबित करने में विफल रहा है और इस तरह, अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को संदेह के लाभ के आधार पर उक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विचारण न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत और आक्षेपित निर्णय पर विचार करने के बाद, और साथ ही ऊपर बताए गए मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष उन पाँच 'सुनहरे सिद्धांतों' को साबित करने में विफल रहा है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले को साबित करने के 'पंचशील' का आधार होते हैं; जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने 'शरद बिरदीचंद सारडा' (पूर्वोक्त) मामले में निर्धारित किया था। अतः, वह आक्षेपित निर्णय, जिसके द्वारा अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को उक्त आरोपों से बरी किया गया है, न्यायसंगत और उचित है, और उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. तदानुसार, अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त किए जाने के विरूद्ध अपीलार्थी/राज्य की यह अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/- सही/-

(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur